



# U P Rajarshi Tandon Open University

12/12, Kamla Nehru Marg (Near K. P. Girls Inter College)

Allahabad-211001

Incharge Admission Cell

Ph. No. (0532)2607510

प्रत्रांक:ओ.यू./प्र.प्र./२२३६/२००६

दिनांक:०५/०४/०६

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक

कमला नेहरु शैक्षणिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान  
कुल्लानपुर

*sri Amrit Singh  
m. a. k  
17.04.06*

विषय:- उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र की स्थापना।

प्रिय महोदय,

मान्यता बोर्ड और विद्या परिषद् की संस्तुतियों का अनुमोदन करते हुए कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29 मार्च 2006 की कार्य सूची बिन्दु संख्या 09 के द्वारा आपके महाविद्यालय/संस्था को उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र खोलने की अस्थायी अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की हैः—

1. केन्द्र संचालन के लिए शिक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या 50 अपेक्षित है। शिक्षार्थियों की संख्या 50 से कम होने की दशा में केन्द्र निरस्त किया जा सकता है और शिक्षार्थियों को अन्यत्र निकटतम अध्ययन केन्द्र पर रथानान्तरित किया जा सकता है।
2. पाठ्यक्रम विशेष में शिक्षार्थियों की संख्या 05 से कम होने पर शिक्षार्थियों को अन्यत्र निकटतम अध्ययन केन्द्र पर रथानान्तरित किया जा सकता है अथवा उर्सी अध्ययन केन्द्र पर दूसरे कार्यक्रम में रथानान्तरित होने की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
3. अध्ययन केन्द्र के निलम्बित होने और शिक्षार्थियों के रथानान्तरित हो जाने की स्थिति में अध्ययन केन्द्र के प्राचार्य, समन्वयक तथा अन्य स्टाफ के मानदेय का भुगतान रोक दिया जायेगा।
4. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक द्वारा परामर्श कक्षाओं की समय सारणी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय के शैक्षिक अनुभाग (19, कमला नेहरु मार्ग, मनमोहन पार्क, इलाहाबाद) को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
5. केन्द्र समन्वयक को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान 'पूर्व-प्रवेश परामर्श' की व्यवस्था करनी होगी। पूर्व-प्रवेश परामर्श का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

- केन्द्र समन्वयक प्रवेश विवरणिका और परीक्षा आवेदन पत्रों का लेखा—जोखा रखेगा और अन्तिम तिथि के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र उसे प्रवेश अनुभाग (12/12, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद) को उपलब्ध करायेगा।
- केन्द्र समन्वयक, प्रवेश और परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथियों का अनुपालन करेगा और आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रविष्टियों की सत्यता सुनिश्चित करेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिसके लिए केन्द्र समन्वयक उत्तरदायी होगा।

आप के महाविद्यालय/संस्थान रित्थत अध्ययन केन्द्र पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के संचालन की अस्थायी अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैः—

<i>CCC</i>	.....	.....
<i>BCA</i>	.....	.....
<i>MCA</i>	.....	.....
<i>MLIS</i>	.....	.....
<i>CHR</i>	.....	.....
<i>DIWDM</i>	.....	.....
.....	.....	.....

अध्ययन केन्द्र के समन्वयक की नियुक्ति हेतु तीन वरिष्ठ शिक्षकों का नाम वरीयता क्रम से संस्तुत करने और विश्वविद्यालय को शीघ्र प्रेषित करनें का कष्ट करें।

संलग्न संशोधित एम. ओ. यू. को रु 10.00 के नान जुड़ेशियल रसाम्प पेपर पर टंकित कराकर और महाविद्यालय/संस्था के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ही गवाह का हस्ताक्षर कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।


आप के अध्ययन केन्द्र का कोड *Centre Code: S132* है जिसका विश्वविद्यालय से पत्राचार में सदैव प्रयोग करें।

उपरोक्त प्रपत्रों के साथ आप विश्वविद्यालय अधिकारियों से विचार विमर्श करने और विश्वविद्यालय द्वारा तैयार अध्ययन केन्द्री नाम पटिटका को प्राप्त करने के लिए अपनी सुविधानुसार विश्वविद्यालय केन्द्र पर 12 अप्रैल 2006 एवं 24 अप्रैल 2006 के मध्य पधारने का कष्ट करें। आगमन से पूर्व आप दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कर विश्वविद्यालय को सूचना अवश्य दे दें।

सधन्यवाद।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय

  
प्रो. (राम बली सिंह)


प्रभारी, प्रवेश अनुभाग

पृ. संख्या : ओ.यू./प्र.प्र./22-५/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

  
प्रो. (राम बली सिंह)  
प्रभारी, प्रवेश अनुभाग